## सं.10/01/2015-परीक्षा-I कर्मचारी चयन आयोग(पू.क्षे.),कोलकाता \* \* \*

केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों, राष्ट्रीय अन्वेषन अभिकरण, सचिवालय सुरक्षा बल में कांस्टेबल(जीडी) और असम राइफल्स में राइफलमैन (जीडी) परीक्षा, 2015 के उम्मीदवारों को सूचित किया जाता है कि दिनांक 24-30 जनवरी, 2015 के एम्प्लोयमेट न्यूज़/रोजगार समाचार में प्रकाशित परीक्षा के सूचना के प्रावधानों एवं उक्त सूचना के दिनांक 03.02.2015 के शुद्धि पत्र के अनुसार, जिन उम्मीदवारों के आवेदन विभिन्न कारणों से अस्वीकार किए गए उनकी सूची इस वैबसाइट पर अपलोड की गयी है। जिन उम्मीदवारों को शारीरिक क्षमता परीक्षा/शारीरिक मापदंड परीक्षा (PET/PST) के प्रवेश पत्र प्राप्त नहीं हुए है, वें कृपया इस सूची को देखें। यदि, किसी उम्मीदवार का नाम अस्वीकृत उम्मीदवारों की सूची में है और वें आवेदन अस्वीकृत होने के कारण के विरुद्ध अभ्यावेदन करना चाहते है, तो वें ऐसा कर सकते है। इसके लिए वें क्षेत्रीय निदेशक, कर्मचारी चयन आयोग(पूर्वी क्षेत्र), 234/4, ए.जे.सी बोस रोड, कोलकाता-700020 को लिख सकते है। ऐसे अभ्यावेदन दिनांक 30.05.2015 तक आयोग के पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय में पह्ँच जाना चाहिए। दिनांक 30.05.2015 के बाद प्राप्त अभ्यावेदनों को किसी भी परिस्थिति में ग्रहण नहीं किया जाएगा।

File No.10/01/2015-Exam.I Staff Selection Commission (ER), Kolkata

Candidates of Constables (GD) in CAPFs, NIA & SSF and Rifleman (GD) in Assam Rifles Examination, 2015 are informed that the list of candidates whose applications have been rejected on various grounds in accordance with the provisions of the notice of the examination published in the Employment News/Rozgar Samachar edition dated 24 -30 January, 2015 and Corrigendum to the said Notice dated 03.02.2015, have been uploaded on this website. Candidates who have not received admission certificates for PET/PST are advised to go through the list. In case, a candidate, whose name is in the list of rejected candidates, desires to make any representation against such rejection he/she may do so in writing addressing the same to the Regional Director(ER), Staff Selection Commission, Nizam Palace, 234/4, A.J.C. Bose Road, Kolkata – 700020. Such representation should reach the Eastern Regional office at the above address latest by 30.05.2015. Representation received after 30.05.2015 would not be entertained under any circumstances.

> BY ORDER [REGIONAL DIRECTOR (ER)]

आदेशानुसार क्षेत्रीय निदेशक(पूर्वी क्षेत्र)